

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दि0 14-09-06 के प्राविधानों के अंतर्गत मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, खम्भारखेड़ा, लखीमपुरखीरी के चीनी इकाई परिसर के 51 एकड़ क्षेत्रफल में आधारित 90 मेगावाट क्षमता के प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट की स्थापना से पूर्व दिनांक 24-05-2010 के अपरान्ह 2:00 बजे चयनित स्थल पर पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :



उपरोक्त प्रस्तावित 90 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना लखीमपुर शहर से लगभग 12 किमी0 दूर मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, खम्भारखेड़ा, वेलरायों रोड, खीरी पर चीनी मिल परिसर के अंदर 10.5 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल ग्राम खम्भारखेड़ा, 80° 49' 22" पूर्वी अक्षांश तथा 28° 1' 19" उत्तरी देशान्तर पर लखीमपुर खीरी, वेलरायों मार्ग के 12 वे किमी0 पर स्थित है।

प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट में लगभग 5.5 एकड़ भूमि पर कोयला भण्डारण एवं हथालन किया जायेगा। 10 एकड़ भूमि राख हथालन एवं भण्डारण हेतु प्रस्तावित है, शेष 25 एकड़ भूमि पर थर्मल पावर प्लांट के चारों तरफ यथा उपलब्ध भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जाना है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दि0 14-09-2006 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत उद्योग का प्रस्ताव अधिसूचना की अनुसूची 1(डी) के अंतर्गत आच्छादित है, जिसमें उद्योग स्थापना से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु लोक सुनवाई की कार्यवाही कराने हेतु दि0 05-04-10 को बजाज हिन्दुस्तान लि0, खम्भारखेड़ा, लखीमपुरखीरी द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए राज्य बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई की तिथि 24-05-10 प्रस्तावित कर जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुरखीरी की सहमति प्राप्त किया गया। दिनांक 24-05-10 की लोक सुनवाई हेतु आम सूचना दि0 22-04-10 को दैनिक जागरण के लखीमपुरखीरी डाक में आम जनता की आपत्तियों एवं सुझाव हेतु प्रकाशित कराया गया। इसी प्रकार हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी संस्करण), समाचार पत्र में दि0 21-04-10 को एक माह का समय देते हुए प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट के सम्बन्ध में आम जनता की आपत्ति/सुझाव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु सूचित किया गया था किन्तु निर्धारित अवधि तक प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में कोई लिखित अथवा मौखिक आपत्ति/सुझाव किसी भी माध्यम से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में प्राप्त नहीं हुआ।

प्रस्तावित 90 मेगावाट पावर प्लांट में 45 मेगावाट की दो टरबाइन हेतु स्टीम की आपूर्ति 190 टी0पी0एच0 के दो ब्वालयरों द्वारा किया जायेगा। ब्वालयरों में दैनिक 1600 मीट्रिक टन कोयले का उपभोग किया जायेगा। प्रदूषित उत्सर्जकों के नियंत्रण हेतु उपयुक्त क्षमता के ई0एस0पी0 से शुद्धीकृत गैसीय उत्सर्जकों का निस्तारण 110 मी0 ऊँची आर0सी0सी0 चिमनी के माध्यम से किया जाना है। प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र से जनित राख लगभग 640 टन/दिन होगी जिसको ब्वालयर परिसर से ही बंद पाइप लाइन के माध्यम से मैकेनिकली लाइण्ड ऐश यार्ड में निस्तारित किया जायेगा।

कोल यार्ड में कोयल के हथालन एवं साइजिंग के दौरान जनित प्रक्रिया उत्सर्जकों के नियंत्रण हेतु उचित क्षमता का बैग फिल्टर/डस्ट कलेक्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तथा वाहनो के आवागमन लोडिंग एवं अनलोडिंग के दौरान जनित प्रक्रिया उत्सर्जकों के नियंत्रण हेतु निरन्तर जल छिड़काव किया जाना भी प्राविधानित है।



 24/5

ऐश पौण्ड के अतिरिक्त उद्योग द्वारा राख के उचित निस्तारण हेतु ईट बनाने का उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक नहीं दिया गया है। परियोजना में जल की खपत ब्वायलर फीड एवं कन्डेनशर कूलिंग में लगभग 7000 किली०/दिन किया जायेगा। जिसमें ब्वायलर लोडाउन डी०एम० प्लाण्ट का वैकवाश सान्द्रित प्रशीतन जल एवं फ्लोर वाशिंग से लगभग 1100 किली०/दिन दूषित उत्प्रवाह जनित होगा, जिसको राज्य बोर्ड के मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

शुद्धीकृत उत्प्रवाह का प्रयोग राख पर छिड़काव हेतु, हरित पट्टिका में सिंचाई हेतु एवं आंशिक भाग कूलिंग वाटर में मेकअप वाटर के रूप में भी प्रयोग में लाया जायेगा तथा प्रस्तावित पावर प्लाण्ट से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह परिसर से बाहर निस्तारित नहीं किया जायेगा। घरेलू जल-मल का शोधन सेप्टिक टैंक/सोकपिट में प्रस्तावित है। ब्वायलर, टरबाइन एवं अन्य मशीनों से जनित ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपयुक्त क्षमता के एकास्टिक एनक्लोजर एवं साइलेन्सर की स्थापना भी किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित इकाई में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु लगभग 4.5 करोड़ ₹ का व्यय किये जाने का प्राविधान है।

दिनांक 24-05-10 को अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व लखीमपुरखीरी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रस्तावित स्थल मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, खम्भारखेड़ा, वेलरायों रोड, लखीमपुरखीरी पर अपरान्ह 2:00 बजे प्रारम्भ की गयी। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामीणों एवं अन्य सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत किया गया एवं प्रस्तावित 90 मेगावाट पावर प्लाण्ट का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए, परियोजना के तकनीकी सलाहकार एवं वरिष्ठ अधिकारियों को परियोजना से सम्बन्धित विवरण तथा पावर प्लाण्ट के संचालन के दौरान सम्भावित जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण तथा उसके नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण ग्रामीणों एवं अन्य उपस्थित गणों को बताने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री एस०सी० सेंगल, जोनल हैड, सेण्ट्रल जोन, बजाज हिन्दुस्तान लि०, द्वारा बताया गया कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक पावर की अधिक आवश्यकता है। मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, द्वारा पावर के क्षेत्र में शुगर उद्योग की तरह शुरुआत की गयी है। मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, खम्भारखेड़ा, लखीमपुरखीरी में 90 मेगावाट के पावर प्लाण्ट की शुरुआत की जा रही है। यह शुरुआत प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कमी को देखते हुए किया जा रहा है। डा० ए०बी० सिंह, प्रमुख आसवनी बिजनेस एवं ई०एच०एस० द्वारा लोगों को बताया गया कि परियोजना की कुल लागत 320 करोड़ आयेगी जिससे 90 मेगावाट पावर का उत्पादन किया जायेगा। इसमें मुख्यतः कोयला ईंधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा। कोयला को जलाएंगे, इससे स्टीम बनायेंगे स्टीम को टरबाइन में ले जायेंगे तथा पावर बनाकर ग्रिड को सप्लाई करेंगे तथा ग्रिड से पावर आप लोगों तक जायेगा। हम चाहते तो विदेश से भी कोयला मर्गवा सकते थे परन्तु उस कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, अतः हम कम सल्फर मात्रा वाली भारतीय कोयला का प्रयोग करेंगे। इस उद्योग की स्थापना से मुख्यतः वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसीपिटेटर के साथ एक चिमनी 110 मी० ऊँची स्थापित की जायेगी। इकाई से जनित राख को ऐश पौण्ड में बंद पाइप के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा तथा निकट भविष्य में राख से ईट का निर्माण भी किया जायेगा जोकि सामान्य ईट से तीन गुना मजबूत होगी तथा उद्योग में दैनिक 7000 घनमी० जल का प्रयोग किया जायेगा, जिससे निकलने वाले उत्प्रवाह को कोल हैडलिंग एवं हरित पट्टिका में पुनः प्रयोग कर लिया जायेगा।

He
24/5

24/5/10

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा उपस्थित जन से अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित पावर प्लांट के सम्बन्ध में कोई सुझाव या आपत्ति हो तो कृपया अपने विचार प्रस्तुत करें, जिसके अनुक्रम में उपस्थित निम्न लोगों द्वारा अपने सुझाव रखे गये :

- 1- पुतान सिंह भदौरिया, निवासी-लखनापुर, लखीमपुरखीरी द्वारा मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, को पावर प्लांट की स्थापना की शुरुआत हेतु बधाई दी गयी तथा कहा गया कि इसके साथ कुछ पुरानी शिकायतें भी हैं अर्थात् जो चीनी मिल पूर्व में खम्भारखेड़ा, में लगायी गयी थी, उसमें हम लोगो द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया तथा उद्योग द्वारा जो वादा किया गया था, उसे नहीं पूरा किया गया। चीनी मिल के पीछे रोड पर गंदगी है, जिस पर आर०सी०सी० रोड बनाने का वादा किया गया था, जिसे आज तक नहीं बनाया गया। बड़ा शिक्षण संस्थान बनाने का भी वादा किया था किन्तु आज तक किसी शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं किया जा सका यद्यपि यह मेरी शिकायत नहीं है बल्कि जनता की आवाज है। मेरी तरफ से अनुरोध है कि जिनकी जमीन चीनी मिल द्वारा ली गयी है, उन्हें नौकरी में रखा गया परन्तु उन्हें मात्र 2500 रु० प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर रु० 3000.00 प्रतिमाह किया जाये। उद्योग लग रहा है, जिससे हमें खुशी है। मेरा शासन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध है कि प्रदूषण पर पूरा नियंत्रण रखा जायें।
 - 2- श्री अखिलेश कुमार तिवारी, निवासी ग्राम-गौरा, लखीमपुरखीरी द्वारा स्वागत अभिनन्दन करते हुए कहा गया कि पावर प्लांट लगना खुशी की बात है, जैसा कि बताया गया कि पावर प्लांट की 60 प्रतिशत ऊर्जा जिले को दिया जायेगा। उद्योग और प्रदूषण का चोली दामन का साथ है। प्रदूषण के मामले में वृक्षारोपण का अलग महत्व है, अतः हम उद्योग से अनुरोध करते हैं कि किसानो को वृक्षारोपण हेतु अधिक से अधिक पौधे उपलब्ध कराये जायें और खुद भी वृक्षारोपण अधिक से अधिक करायें।
 - 3- श्री के०आर० वर्मा, पूर्व चेयरमैन, गन्ना समिति, लखीमपुरखीरी ने कहा कि मेरे जिले को कितनी बिजली दी जायेगी, यदि हमारा किसान प्रदूषण से प्रभावित होगा तो उसके फलस्वरूप उसको आराम भी मिलना चाहिए। उद्योग लगने से किसानो को बिजली मिलेगी तथा पैदावर भी बढ़ेगी। प्लांट लगने से हमें बड़ी खुशी है। उद्योग लगने से कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी होगी।
 - 4- श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, लखीमपुरखीरी द्वारा बताया गया कि इस समय सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, बिजली खेती के लिये आवश्यक है। इस पावर प्लांट के लगने से क्षेत्र का विकास होगा।
 - 5- डा० कुलवीर सिंह, निवासी-खम्भारखेड़ा, लखीमपुरखीरी के द्वारा कहा गया कि उद्योग लगे तो ठीक है, लेकिन जो कोयले से चलेगा तथा लाखों टन कोयला आयेगा, जिससे डस्ट उड़ेगी, कोयला कहाँ रखा जायेगा, के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था किया जायें तथा मिल के कर्मचारी अपनी मानसिकता बदले, अच्छा व्यवहार करें। किसानो की समस्या सुने, जनता को सहयोग दीजिये और सहयोग लीजियें।
- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कम्पनी के लोगों को निर्देशित किया गया कि कोयले के भण्डारण एवं उससे होने वाले प्रदूषण एवं नियंत्रण के बारे में बतायें, इस पर श्री ए०बी० सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग लगने हेतु 5.1 एकड़ भूमि प्रस्तावित है, जिसमें से 25 एकड़ भूमि हरित पट्टा के विकास के लिये है तथा 5.5 एकड़ में कोयले का भण्डारण/हथालन किया जायेगा। जिस पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की गयी है, इस बार पूरा सोचने-समझने के बाद उच्च तकनीकी पर आधारित प्लांट लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्व की वेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, उसका प्रयोग किया जायेगा।


Ju
24/5

A
24/5/10

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित ग्रामीणों एवं जन साधारण को धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गयी।


लोक सुनवाई के अंत में ग्रामीणों के सुझाव एवं आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुए प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं संचालन के दौरान पड़ने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने एवं आवश्यक क्रियान्वयन की शर्त के साथ मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, के शुगर इकाई परिसर में प्रस्तावित 90 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती हैं।


- 1- उद्योग में प्रस्तावित 190 टी०पी०एच० के दोनो ब्वालयरों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में दिये गये प्रस्ताव के अनुरूप इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटर स्थापित किया जायें तथा गैसीय उत्सर्जकों का निस्तारण एक 110 मी० ऊँची पक्की चिमनी के माध्यम से किया जायेगा। चिमनी में गैसीय उत्सर्जन के अनुश्रवण हेतु बोर्ड मानको के अनुरूप पोर्ट होल एवं प्लेटफार्म स्थापित किया जायें।
- 2- इकाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु 1200 किली०/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किया जायें।
- 3- कोल यार्ड में कोयले के हथालन एवं साइजिंग के दौरान जनित प्रक्रिया उत्सर्जकों के नियंत्रण हेतु उचित क्षमता का वैग फिल्टर/डस्ट कलेक्टर के साथ 30 मी० ऊँची चिमनी स्थापित किया जायें।
- 4- कोल यार्ड में निकटतम गाँव की तरफ कम से कम 25 मी० चौड़ी सघन हरित पट्टिका विकसित की जायें ताकि ग्रामीणों पर कोयले के हथालन से जनित प्रक्रिया उत्सर्जकों का कुप्रभाव न पड़े।
- 5- कोल यार्ड में कोयले की डस्ट को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त जल छिड़काव की व्यवस्था की जायें।
- 6- ब्वायलर से जनित कोयले की राख को बंद पाइप लाइन के माध्यम से लाइण्ड ऐश यार्ड में ले जाया जायें तथा ऐश पौण्ड में राख का निस्तारण बोर्ड मानको के अनुरूप सुनिश्चित किया जायें।
- 7- ऐश से ईट बनाने सम्बन्धी तकनीकी प्रस्ताव तीन माह में प्रेषित किया जायें।
- 8- ऐश पौण्ड, कोल यार्ड एवं पावर प्लांट के चारो तरफ दिये गये प्रस्ताव के अनुरूप 25 एकड़ क्षेत्रफल में घनी हरित पट्टिका विकसित किया जायें।
- 9- उद्योग से जनित उत्प्रवाह को बोर्ड मानको के अनुरूप शुद्धीकृत कर पुनः प्रयोग कर शून्य किया जायें तथा परिसर के बाहर उत्प्रवाह का निस्तारण अनुमन्य नहीं होगा।
- 10- घरेलू जल-मल का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोकपिट में किया जायें।
- 11- उद्योग के आस-पास के प्रभावित ग्रामीणों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार उपलब्ध करने में यथा सम्भव आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 12- उद्योग परिसर एवं उद्योग परिसर के बाहर वायुगुणता के अनुश्रवण हेतु राज्य बोर्ड की सहमति से 120° पर तीन हाई वालूम सैम्पलर स्टेशन की स्थापना की जायें।
- 13- लोक सुनवाई के समय आम जनता द्वारा दिये गये सुझावो को अमल किया जायें।
- 14- आकस्मिक दुर्घटना से निपटने हेतु उचित व्यवस्था किया जायें।


24/5



24/5/10

- 15- पावर प्लाण्ट हेतु कोयले का परिवहन इस प्रकार से किया जावे कि लखीमपुर शहर की यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा आम जनता के आवागमन पर कोयले के ट्रको के आवागमन से कोई कुप्रभाव न पड़े।
- 16- पावर प्लाण्ट की स्थापना के दौरान प्लाण्ट एवं मशीनरी का परिवहन, निर्माण सामग्रियों का परिवहन एवं हथालन से जनित ध्वनि/वायु नियंत्रण एवं सीवेज के शुद्धीकरण हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करना सुनिश्चित किया जावे।
- 17- ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु उपयुक्त व्यवस्था परिसर के भीतर स्थापित किया जावे।
- 18- उद्योग के सामने वाहनो की पार्किंग इस प्रकार से किया जावे कि वेलरायो मार्ग के सामान्य यातायात पर कोई कुप्रभाव न पड़े।
- 19- भूगर्भ जल विभाग द्वारा जल दोहन के सम्बन्ध में प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र को छः माह में प्रस्तुत किया जावे।
- 20- पर्यावरणीय समस्याओं के प्रभावी समाधान एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रो के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु सुसज्जित प्रयोगशाला के साथ पर्यावरणीय प्रबन्धन सेल की व्यवस्था उद्योग द्वारा किया जावे।


 (एस०के०मि०डी)
 क्षेत्रीय अधिकारी
 क्षेत्रीय अधिकारी
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 लखनऊ


 24/5/10
 (तुलसीराम)
 अपर जिलाधिकारी
 लखीमपुरखीरी

जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुरखीरी।


 28/5/10
 D.M.

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दि0 14-09-06 के प्राविधानो के अंतर्गत मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, खम्मारखेड़ा, खीरी के चीनी इकाई परिसर में कोयला आधारित 90 मेगावाट क्षमता के प्रस्तावित थर्मल पावर प्लाण्ट की स्थापना से पूर्व उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत चयनित स्थल पर पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन सामान्य की उपस्थिति का विवरण :

सुनवाई का स्थल : खम्मारखेड़ा, खीरी में पावर प्लाण्ट हेतु चयनित स्थल।

दिनांक : 24-05-10
समय : अपराह्न 2:00 बजे

जन-उपस्थिति शीट

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	Tulsi Ram (A.D.M)		
2	S. K. Mishra (U.P.C.B) RO.		
3	S. P. O Jha (D.I.C)		
4	J. P. Mowrya (U.P.C.B)		
5	Mahesh Kashyap (U.P.C.B)		
6	S. C. SANGAL	Z.H (C.Z.) BHL.	
7	लेखन सिंह	श्री. बरगापुर का लीमिटेड	
8	Putam Singh	vi-Lakhnapur	
9	दत्तपाल	चिन्मय लोकार	
10	अनवर	श्री. नुम्बर लोकार	
11	आखिलेश शर्मा	श्री. पी. गौरा	
12	रुचि पाल	अनवर	
13	महेश सिंह	रुचि पाल	
14	Curram Singh	Lidoti Fran	
15	V B Singh	Am-Sing BHL KRAJ	

16	गोविंदराव	गणरा	गोविंदराव
17			
18	श्री. कंजिसिंह	श्री. कंजिसिंह	श्री. कंजिसिंह
19	सुभाष सिंह	साठवठ्ठपुत्र	सुभाष सिंह
20	श्री. सुभाष कुमार	काशीरामपुत्र	श्री. सुभाष
21	विमलेश कुमार	पतराही	विमलेश
22	श्याम सिंह	मैतानी	श्याम सिंह
23	आशीष कुमार सिंह	बसधर	आशीष
24	श्री. गणेश कुमार	गणेश	श्री. गणेश
25	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक	श्री. अशोक
26	राजेश शर्मा	राजेश	राजेश
27	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक	श्री. अशोक
28	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक	श्री. अशोक
29	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक	श्री. अशोक
30	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक	श्री. अशोक
31	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक	श्री. अशोक
32	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक	श्री. अशोक
33	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक	श्री. अशोक
34	Pawan Kumar Singh (Pappu)	Ranjeet Kumar	Pawan Kumar Singh (Pappu)
35	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक	श्री. अशोक
36	Satish Singh	श्री. अशोक	श्री. अशोक
37	श्री. अशोक कुमार	श्री. अशोक	श्री. अशोक

38	Dr. Praveen Chakur	Khambhar Khera	Dr. Praveen Chakur
39	Rakesh Tripathi	Khambhar Khera	Dr. Praveen Chakur
40	Mansingh	Khambhar Khera	Dr. Praveen Chakur
41	Akshay	Koushik Guleria	Dr. Praveen Chakur
42	श्री 601 या 602	श्री 601 या 602	श्री 601
43	राजपाल	राजपाल	राजपाल
44	Pankaj Singh	Gola	Dr. Praveen Chakur
45	R. K. Tewari	K. K. K.	Dr. Praveen Chakur
46	भैरव	भैरव 0.500 500 500 500	Dr. Praveen Chakur
47	प्रभु नारायण	प्रभु नारायण के न. प्रभु नारायण राजपाल	Dr. Praveen Chakur
48	K. K. K.	Pr. Khambhar Khera	Dr. Praveen Chakur
49	रामपाल	रामपाल 12	Dr. Praveen Chakur
50	Shriendra Prasad	Vill. Khambhar Khera	Dr. Praveen Chakur
51	विमल	विमल	विमल
52	Kajal Verma	Suleta pur	Dr. Praveen Chakur
53	Jayant Shukla	Khambhar Khera	Dr. Praveen Chakur
54	श्री 601 या 602	श्री 601 या 602	Dr. Praveen Chakur
55	Shriyank Mehrotra	Khambhar Khera	Dr. Praveen Chakur
56	Sanjeev Kumar	Nakha	Dr. Praveen Chakur
57	श्री 601 या 602	श्री 601 या 602	Dr. Praveen Chakur
58	राजपाल	राजपाल	Dr. Praveen Chakur
59	राजपाल	राजपाल	राजपाल

60	रामसरन वर्मा	निकोलिया	रामसरन
61	Rajesh Kumar	1 khumbhar khuesy	Raj
62	Mishkourthi	khumbhar khuesy	name
63	Sarjey Chohan	vill. Sunder wal	Devi
64	Prem Chander	Vill - Sisrauna	De
65	Sudhir Tomar	म - Sisrauna	म
66	संजय वर्मा	खजौरापुर	संजय
67	अशोक वर्मा	दुमरा गाँधी	अशोक
68	विजय कुमार	नाहरा नरार	विजय
69	जयलाल	महावा	जयलाल
70	हरमल	जलहर	हरमल
71	राजेश कुमार शिरी	शरी	
72	लक्ष्मी कुमार	मावडा	laxmi
73	शरितलेश कुमार	उमाटी	AK
74	रविशंकर कुमार	मकापीडा	रविशंकर
75	आनंद सिंह	मदफा	आनंद सिंह
	संजय वर्मा	दुमरा	De
76	परशुराम	उधवा	परशुराम
77	प्रमोद कुमार	खेदापुर	प्रमोद कुमार
78	विजय कुमार	खामपुर	विजय
79	अशोक शर्मा	महेशपुर	अशोक
80	शिवशंकर	पिपरा मरोडा	शिवशंकर

81	अनुपतिवारी	पिपरामरोडा	पिपरामरोडा
82	पुशान्तीवारी	ओदार	Brasand
83	विश्वनाथानेडा	वडागाव	वडा
84	नरुण एडुमार	वडागाव	नरुण
85	गतीरालुमा	भगेरुपुर्ण	Shehla
86	सुनीलकुमार वर्मा	परसिपा	Sumera
87	Mamaj Gang	Lko	—
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			